न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – सौरभ स्वामी, I.A.S.

वादपत्र संख्या 87/2016
अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

सुश्री सिमरदीपकौर आयु 28 वर्ष आत्मज स्व. श्रीह अमरीकसिंह, जटसिख, चक 3 एच छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर. **...वादिया**

बनाम

1. श्रीमती हरजिन्द्रकौर धर्मपत्नी दिलबागसिंह, जटसिख, चक 3 जी छोटी हाल आबाद चक 4 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर.
2. दिलबागसिंह आत्मज श्री मलकीतसिंह, जटसिख, चक 3 जी छोटी हाल आबाद चक 4 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर.
3. गुरदयालसिंह आत्मज श्री गुरबख्शसिंह, जटसिख, चक 3 एच छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
4. सुश्री अमनीतकौर आत्मजा श्री अमरीकसिंह, जटसिख, चक 3 एच छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर.

..प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री रिछपालसिंह (वादिया)
श्री मोहनलाल माहर (प्रतिवादी–2)
श्री इन्द्रजीत बिश्नोई (प्रतिवादी–3)
पैरोकार राज (प्रतिवादी–5)

दिनांक 17 अगस्त, 2018

– निर्णय –

वादपत्र के तथ्यों के अनुसार चक 3 एच छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 13/11 मुरब्बा नम्बर 2 व 3 की कुल 2.404 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 3 श्री गुरदयालसिंह के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, जो श्री गुरदयालसिंह को अपने पिता स्व. श्री गुरबख्शसिंह से विरासतन पैतृक सम्पत्ति के रूप में प्रापत हुई. इस प्रकार प्रश्नगत कृषि भूमि हिन्दू परिवार की संयुक्त सम्पत्ति है. जिसमें वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 4 का जन्म से ही अधिकार एवं हक बनता है किन्तु श्री गुरदयालसिंह द्वारा लालचवश अपने दूसरे पुत्र चरणजीतसिंह एवं पुत्री जसवीरकौर को लाभ पहुंचाने के लिये अपने नाम से उक्त कृषि भूमि का पंजीबद्व विक्रय विलेख द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में निष्पादित कर दिया. जिसका प्रतिवादी संख्या 3 को किसी भी प्रकार से अन्तरित करने का हक व अधिकार नही था. इस प्रकार उक्त अन्तरण वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 4 के अधिकारों पर प्रारम्भ से ही शून्य एवं प्रभावहीन है. वादिया के पिता का काफी समय पूर्व ही मृत्यु हो चुकी है वादिया अपनी माता

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

श्रीमती मनजीतकौर के साथ बड़ी मुश्किल से अपना जीवन निर्वाह कर रही है. वादिया द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 को कई बार घर जाकर उसके नाम पर दर्ज कृषि भूमि में से अपने हिस्सा तक की भूमि देने एवं राजस्व अभिलेखों में दर्ज करवाने के लिये तकाजा करती रही सदैव ही, प्रतिवादी संख्या 3 वादिया को गोलमोल तरीका से अपनी बात कहता रहा. प्रतिवादी संख्या 3 काफी दिनों से उक्त कृषि भूमि ग्राहकों को दिखा रहा है जिससे वादिया को प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा भूमि विक्रय करने का सन्देह हुआ तो दिनांक 27 मई, 2016 को राजस्व पटवारी से मिलने पर बताया गया कि आपके दादा श्री गुरदयालसिंह द्वारा अपनी भूमि का विक्रय प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को कर दिया गया है, तब वादिया के पैरों तले जमीन खिसक गयी. वादिया को काफी आद्यात पहुंचा, वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 4 प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पास गये तो उनके द्वारा पैतृक सम्पत्ति में से हिस्सा देने से साफ इन्कार कर दिया. यही वादकरीण वादिया को उपलब्ध है. प्रतिवादी संख्या 4 आज किसी कारण मा. न्यायालय में नहीं आ सकती इसलिये उसे वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 4 के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है जिसका हित वादिया के साथ है. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पुत्र, पुत्रियों एवं पोत्रियों का जन्म से ही हक व अधिकार है. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि को खुर्दबुर्द करने के प्रयास में है और कृषि भूमि में रसायन डालकर उसकी उपजाउ शक्ति कम करने में भी प्रयासरत हैं, यदि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 अपने प्रयासों में सफल हो जाते हैं तो, वादिया को अपूर्णनीय क्षति होगी. इस प्रकार वादिया द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्व चक 3 एच छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 13/11 मुरब्बा नम्बर 2 व 3 की कुल 2.404 हैक्टर कृषि भूमि को बंधक, विक्रय अथवा किसी भी तरह से अन्तरित करने से रोके जाने हेतु आज्ञापक आदेश जारी करने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्व चक 3 एच छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 13/11 मुरब्बा नम्बर 2 व 3 की कुल 2.404 हैक्टर कृषि भूमि में वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 4 अमनीतकौर के हिस्सा एवं हक की घोषणा की जाकर किलावाईज वादिया एवं प्रतिवादीसंख्या 4 के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने का निवेदन किया गया. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में चक 3 एच छोटी की जमाबन्दी सम्बत् 2068–2071, चक 3 एच छोटी के नामान्तरकरण संख्या 329 एवं 10 की चित्रित प्रमाणित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

सहायक कलक्टर
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित. प्रतिवादी संख्या 5 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज उपस्थित.

जवाब वादपत्र हेतु यथोचित अवसर दिये जाने पर भी जवाब वादपत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण आदेश दिनांक 5 सितम्बर, 2016 द्वारा अन्तिम अवसर एवं आदेश दिनांक 21 सितम्बर, 2016 द्वारा न्यायहित में पुनः अन्तिम अवसर दिये जाने के उपरान्त, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 6 अक्तूबर, 2016 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 3 के नाम पर

दर्ज चक 3 एच छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 13/11 मुरब्बा नम्बर 2 व 3 की कुल 2.404 हैक्टर कृषि भूमि का श्री गुरदयालसिंह द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को विक्रय विलेख दिनांक 24 मई, 2016 द्वारा विक्रय किया गया है जिसका राजस्व अभिलेखों में नामान्तरकरण संख्या 329 दिनांक 30 मई, 2016 दर्ज किया जा चुका है. वादिया द्वारा प्रस्तुत वंशावली के अनुसार वादिया द्वारा अपनी माता को पक्षकार नहीं बनाया गया, जो कि आवश्यक पक्षकार है. वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 4 का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता चूंकि प्रश्नगत कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 3 की स्वःर्जित सम्पत्ति है जिसे प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा वादपत्र के प्रस्तुतिकरण से पूर्व ही विक्रय कर मौका पर कब्जा केतागण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को सौंप दिया गया है. चूंकि स्वःर्जित कृषि भूमि का विक्रय किया गया है इसलिये वादपत्र का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को नहीं होने के कारा प्रासंगिक स्तर पर ही वादपत्र निरस्त किये जाने योग्य है. चूंकि वादिया द्वारा अपनी माता श्रीमती मनजीतकौर तथा बहन प्रतिवादी संख्या 3 से मिलकर पूर्व में एक वाद शीर्षक चरणजीतसिंह बनाम गुरदयालसिंह में प्रतिवादी के तौर पर पैतृक सम्पत्ति के लिये प्रतिवादपत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 4 को चक 3 एच छोटी के मुरब्बा नम्बर 2 व 3 में 8.00 बीघा कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया गया था. इस प्रकार वादिया मा. न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से वाद प्रस्तुत नहीं किया गया है बल्कि वाद के महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया गया है. वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 4 कभी भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से नहीं मिली और न ही कभी प्रश्नगत कृषि भूमि की बाबत तकाजा ही किया गया है इस प्रकार के तथ्य मात्र वादकरण की उत्पत्ति की दृष्टि से अंकित किये गये हैं. चूंकि वादिया द्वारा अपने मृतक पिताके उत्तराधिकारी के रूप में दादा श्री गुरदयालसिंह से पैतृक सम्पत्ति में से अपना हिस्सा प्राप्त कर चुकी है. अतः पुनः वाद लाने का वादिया कतई अधिकारिणी नहीं है. प्रतिवादीगण द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि अपनी जीविकोपार्जन हेतु क्रय किया गया है जिसमें रसायत डालने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता. वादिया द्वारा कपोलकल्पित तथ्य अंकित कर मा. न्यायालय को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है. चूंकि प्रश्नगत कृषि भूमि पंजीबद्व विक्रय विलेख द्वारा क्रय की गयी है इसलिये जब तक सक्षम सिविल न्यायालय से विक्रयविलेख निरस्त नहीं होता, तब तक मा. न्यायालय को वाद के श्रवणाधिकारी एवं क्षेत्राधिकार उपलब्ध नहीं हैं. अन्ये कथनों में अंकित किया गया कि विचाराधीन वादपत्र प्राड़नियम के सिद्वान्त के अनुसार पोषणीय नहीं है, चूंकि वादिया, प्रतिवादी संख्या 4 एवं श्रीमती मनजीतकौर द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि में मृतक श्री अमरीकसिंह के उत्तराधिकारी के रूप में अपना 1/3 हिस्सा वादपत्र शीर्षक चरणजीतसिंह बनाम गुरदयालसिंह में पारित निर्णय दिनांक 13 फरवरी, 2007 द्वारा प्राप्त कर लिया गया है जिसकी अपील तथा द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल राज., अजमेर द्वारा निर्णित की जा चुकी है. आवश्यक पक्षकारों के अभाव में भी वाद निरस्त किये

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

जाने योग्य है. इस प्रकार वादपत्र धारा 35 ए व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार निरस्त करने का निवेदन किया गया.

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रतिवादपत्र दिनांक 6 अक्तूबर, 2016 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 3 के नाम पर दर्ज चक 3 एच छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 13/11 मुरब्बा नम्बर 2 व 3 की कुल 2.404 हैक्टर कृषि भूमि का श्री गुरदयालसिंह द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को विक्रय विलेख दिनांक 24 मई, 2016 द्वारा विक्रय किया गया है जिसका राजस्व अभिलेखों में नामान्तरकरण संख्या 329 दिनांक 30 मई, 2016 दर्ज किया जा चुका है. इस प्रकार वादीगण प्रश्नगत कृषि भूमि के अभिलिखित खातेदार हैं. विक्रेता द्वारा मौका पर विक्रयाधीन कृषि भूमि का कब्जा विक्रय दिवस को ही सौंप दिया गया था जिस पर वर्तमान में वादीगण शान्तिपूवर्क काबिज होकर काश्त कर रहे हैं. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि में जबरन प्रवेश करने में प्रयासरत हैं. इसलिये प्रतिवादीगण के विरूद्व वादीगण के कब्जा काश्त की कुल 2.404 हैक्टर कृषि भूमि में स्वयं अथवा किसी अन्य के माध्यम से हस्तक्षेप न करने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जानी अपेक्षित है. इस प्रकार प्रतिवादपत्र द्वारा चक 3 एच छोटी के मुरब्बा नम्बर 2 व 3 की 2.404 हैक्टर कृषि भूमि में वादीगण के कब्जा काश्त में प्रतिवादीगण स्वयं अथवा किसी अन्य के माध्यश्म से हस्तक्षेप करने से निषिद्व रहे, बाबत स्थायी निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया गया.

प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से आवेदनपत्र दिनांक 6 अक्तूबर, 2017 अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार विचाराधीन वादपत्र में वादिया द्वारा पैतृक सम्पत्ति में उसका जन्म से हक व हिस्सा होने का कथन करते हुऐ वादपत्र प्रस्तुत किया गया है जिसका वर्णन वादपत्र के बिन्दु संख्या 9 में किया गया है कि पुत्र एवं पुत्रियों का जन्म से हक व अधिकार हासिल होते हैं. सरकार द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में सन् 2005 में संशोधन किया जाकर पुत्रियों का पैतृक सम्पत्ति में पुत्रों के समान हक व हिस्सा होने का कानून बनाया गया मगर इस कानून को बाद में प्रत्याहरित कर लिया गया. इस प्रकार वर्तमान कानून के अनुसार पुत्रियों का पैतृक सम्पत्ति में हक व हिस्सा होना समाप्त कर दिया गया है. जबकि वादिया ने इस समाप्त कानून के आधार पर ही विचाराधीन वादपत्र प्रस्तुत किया गया है. प्रतिवादी संख्या 3 के नाम पर दर्ज 2.404 हैक्टर कृषि भूमि में अधिकारों की घोषणा चाही गयी है. इस प्रकार वर्तमान वाद विधि द्वारा वर्जित होने तथा वादिया को वादकरण उत्पन्न नहीं होने से खारिज करने योग्य है. विचाराधीन वाद इसी स्तर पर निरस्त किये जाने योग्य है. क्योंकि प्रतिवादी संख्या 3 के जीवनकाल में प्रतिवादी संख्या 3 के नाम पर दर्ज कृषि भूमि वादपत्र के बिन्दु संख्या 2 में जिसको पैतृक सम्पत्ति होने का कथन किया जाकर हक व हिस्सा होना अंकित करते हुऐ वादपत्र प्रस्तुत किया गया है. जबकि प्रतिवादी संख्या 3 के जीवनकाल में वादिया का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता. इस प्रकार विचाराधीन वादपत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण पोषणीय नहीं है. इस प्रकार

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(कास्ट टेक) श्रीगंगानगर

विचाराधीन वादपत्र इसी स्तर पर निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया.

वादिया की ओर से जवाब आवेदनपत्र दिनांक 4 जनवरी, 2017 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार प्रतिवादी वादिया प्रतिवादी संख्या 3 की पोत्री है इसलिये वह उसके नाम से दर्ज कुल 2.404 हैक्टर कृषि भूमि में से अपने हिस्सा की कृषि भूमि की घोषणा करवाने की विधिक अधिकारिणी है. तथा विचाराधीन वाद किसी भी दृष्टिकोण से विधि द्वारा वर्जित नहीं है. अतिरिक्त कथनों में अंकित किया गया कि मान. न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वादपत्र का विस्तृत जवाब वादपत्र प्रस्तुत किया जा चुका है. इस प्रकार वादपत्र में विवाद्यकों के निर्धारण के बाद ही विचाराधीन वादपत्र का निस्तारण गुणावगुणों के आधार पर किया जा सककता है. जिसे इसी स्तर पर किसी भी तरीका से निरस्त नहीं किया जा सकता. इस प्रकार आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया गया.

आवेदनपत्र पर युक्तियुक्त विचारणोपरान्त आदेश दिनांक 28 मार्च, 2017 द्वारा पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार चक 3 एच छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 13/11 मुरब्बा नम्बर 2 व 3 की 2.404 हैक्टर कृषि भूमि वादिया के दादा श्री गुरदयालसिंह के नाम पर दर्ज है जिन्हें अपने पिता स्व. श्री गुरबख्शसिंह से विरासतन प्राप्त हुई थी, किन्तु श्री गुरदयालसिंह को उक्त कृषि भूमि अपने पिता से विरासतन प्राप्त हुई अथवा नहीं? का विनिश्चिय विवाद्यकों के निर्धारणोपरान्त प्रस्तुत होने वाले साक्ष्यों पर निर्भर करता है ऐसी स्थिति में, विचाराधीन आवेदनपत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के निर्धारित अव्यवों की पूर्ति नहीं करने के कारण निरस्त किया गया.

जवाब प्रतिवादपत्र दिनांक 4 जनवरी, 2017 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार प्रश्नगत कृषि भूमि का विक्रयविलेख द्वारा किया गया विक्रय, अन्तरण प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के अधिकारों पर प्रारम्भ से ही शून्य एवं प्रभावहीन है. कब्जा प्रतिवादी संख्या 4 के पास ही हैविक्रय विलेख केवल प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को अधिकारों से वंचित करने के उद्देश्य से मात्र नुमायशी है. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को अपने दादा/ससुर के नाम दर्ज कृषि भूमि में पूरा हक व अधिकार उपलब्ध है. उक्त कृषि भूमि में जाने से उन्हें रोका नहीं जा सकता. जबकि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा कभी भी प्रश्नगत कृषि भूमि में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है. इस प्रकार प्रतिवादपत्र निरस्त करने का निवेदन किया गया.

प्रतिवादी संख्या 5 राज्यपक्ष द्वारा जवाब वादपत्र दिनांक 28 मार्च, 2017 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार राजस्व अभिलेखानुसार चक 3 एच छोंटी के मुरब्बा नम्बर 2 व 3 में 2.404 हैक्टर कृषि भूमि दर्ज है जिसे पैतृक सम्पत्ति के तथ्य वादी द्वारा स्वयं सिद्व किया जाना है, वादपत्र के शेष बिन्दुओं को भी वादिया द्वारा सिद्व करने के तथ्य अंकित किये गये.

पक्षकारान के मध्य उत्पन्न विवाद के निस्तारण हेतु निम्नलिखित विवाद्यकों का निर्धारण किया गया –

1. क्या चक 3 एच छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 13/11 मुरब्बा नम्बर 2 व 3 की कुल 2.404 हैक्टर कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति है. जिसमें वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 4 का जन्म से ही हक व हिस्सा है? **..वादिया**

2. क्या वादिया उक्त कृषि भूमि बाबत प्रतिवादीगण के विरूद्व प्रश्नगत कृषि भूमि को बंधक, विक्रय अथवा अन्य किसी भी तरीका से अन्तरित नहीं करने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारिणी है? **...वादिया**

3. क्या वादिया उक्तांकित कृषि भूमि अपने अधिकारों की घोषणा करवाकर किलावाईज हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी है? **..वादिया**

4. क्या प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि का विक्रय पंजीबद्व विक्रय विलेख दिनांक 24 मई, 2016 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को विक्रय कर दी गयी है जिसका प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम पर नामान्तरकरण भी दर्ज हो चुका है? **...प्रतिवादी–1व 2**

5. क्या पैतृक सम्पत्ति की बाबत पूर्व प्रकरण शीर्षक चरणजीतसिंह बनाम गुरदयालसिंह में प्रस्तुत काउण्टरक्लेम स्वीकृत किया जाकर निर्णय दिनांक 13 फरवरी, 2007 द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 को चक 3 एच छोटी के मुरब्बा नम्बर 2 व 3 में 8.00 बीघा का खातेदार घोषित किया गया है, जिसकी प्रथम एवं द्वितीय अपीलें भी विनिश्चित की जा चुकी हैं, के परिदृश्य विचाराधीन वादपत्र प्रभावित होता है?..**प्रतिवादी–1व 2**

6. क्या प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रश्नगत क्रयाधीन कृषि भूमि में वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के विरूद्व चक 3 एच छोटी के मुरब्बा नम्बर 2 व 3 की कुल 2.404 हैक्टर के कब्जाकाश्त में किसी भी प्रकार से स्वयं अथवा किसी अन्य की सहायता से हस्तक्षेप नहीं करने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं? **....प्रतिवादी 1 व 2**

7. अनुतोष?

सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

विवाद्यकों के विनिश्चित हेतु साक्ष्य वादी हेतु सुश्री सिमरदीपकौर द्वारा उपस्थित आकर प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किया गया. जिसके जिरह हेतु उपस्थित नहीं आने के कारण आदेश दिनांक 15 सितम्बर, 2017 द्वारा अन्तिम अवसर दिया गया, तदोपरान्त, साक्षी वादी के उपस्थित आने पर जिरह की गयी. वादिया अधिवक्ता द्वारा अन्य साक्ष्य वादिया प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया किन्तु दिनांक दिनांक 15 सितम्बर, 2017 को अन्तिम अवसर दिये जाने के परिदृश्य राशि 200.00 कॉस्ट पर अन्य साक्ष्य वादिया द्वारा एक ही अन्तिम अवसर दिया गया. वादी अधिवक्ता द्वारा अन्य साक्ष्य वादी प्रस्तुत नही

करने के कथन हस्ताक्षरित करने के परिणामतः आदेश दिनांक 23 अक्तूबर, 2017 द्वारा साक्ष्य वादी पूर्ण की गयी. साक्ष्य प्रतिवादी हेतु यथोचित अवसर दिये जाने पर साक्ष्य प्रतिवादी प्रस्तुत नही करने के परिणामतः आदेश दिनांक 20 दिसम्बर, 2017 द्वारा अन्तिम अवसर एवं दिनांक 3 जनवरी, 2018 द्वारा राशि 500.00 कॉस्ट पर अन्तिम अवसर दिया गया. साक्ष्य प्रतिवादी संख्या 1 व 2 हेतु श्री दिलबागसिंह द्वारा उपस्थित आकर प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किया गया. किन्तु प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणामतः प्रतिवादी संख्या 3 की साक्ष्य बन्द की गयी. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से साक्षी दिलबागसिंह द्वारा जिरह हेतु उपस्थित नहीं आने के कारण आदेश दिनांक 23 फरवरी, 2018 द्वारा प्रतिवादी साक्ष्य हेतु राशि 200.00 कॉस्ट पर न्यायहित में अन्तिम अवसर एवं दिनांक 21 मार्च, 2018 द्वारा राशि 500.00 कॉस्ट पर पुनः अन्तिम अवसर तथा विशेष आग्रह एवं न्याय के दृष्टिकोण से आदेश दिनांक 5 अप्रेल, 2018 को राशि 1000.00 कॉस्ट पर अवसर दिया गया. तदोपरान्त दिनांक 27 अप्रेल, 2018 को साक्षी श्री दिलबागसिंह के उपस्थित आने पर जिरह की गयी तथा साक्ष्य प्रतिवादी पूर्ण की गयी. अभिलेख चक 3 एच छोटी की जमाबन्दी सम्बत् 2068–2071(प्रदर्श–1), चक 3 एच छोटी के नामान्तरकरण संख्या 329 एवं 10(प्रदर्श–3), दस्तावेज बैयनामा दिनांक 24 मई, 2015(प्रदर्श–डी1ए), दस्तावेज बैयनामा दिनांक 24 मई, 2015(प्रदर्श–डी2ए), दस्तावेज बैयनामा दिनांक 24 मई, 2015(प्रदर्श–डी3ए), दस्तावेज बैयनामा दिनांक 24 मई, 2015(प्रदर्श–डी4ए) एवं अध्यक्ष जिला उपभोक्ता संगम द्वारा जारी पानी की पर्ची (प्रदर्श–डी5ए) प्रदर्श करवाये गये.

अधिवक्ता वादिया द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी एवं अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

विवाद्यक संख्या 1 – क्या चक 3 एच छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 13/11 मुरब्बा नम्बर 2 व 3 की कुल 2.404 हैक्टर कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति है. जिसमें वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 4 का जन्म से ही हक व हिस्सा है? ..वादिया

सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

चक 3 एच छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2068–2071 के खाता संख्या 13/11 मुरब्बा नम्बर 2 व 3 की 2.404 हैक्टर कृषि भूमि श्री गुरदयालसिंह आत्मज श्री गुरबख्शसिंह को उनके पिता स्व. श्री गुरबख्शसिंह से विरासतन प्राप्त होने के कारण पैतृक सम्पत्ति है. चूंकि श्री गुरदयालसिंह की पैतृक सम्पत्ति में से वादिया के पिता स्व. श्री अमरीकसिंह की मृत्योपरान्त सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत वादपत्र के माध्यम से पारिवारिक सदस्यों सर्वश्री गुरदयालसिंह, श्री अमरीकसिंह(मृत), श्री चरणजीतसिंह एवं श्रीमती जसवीरकौर के परिदृश्य चक 3 एच छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा

नम्बर 3 किला नम्बर 3 से 7, किला नम्बर 14 से 16 एवं किला नम्बर 25 के 2.087 हैक्टर कृषि भूमि का नामान्तरकरण वादिया के परिवार के नाम पर दर्ज किया जा चुका है जिसे वादिया द्वारा साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत प्रमाणित शपथपत्र की जिरह में स्वीकार किया गया है कि एस.डी.एम., श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 13 फरवरी, 2007 की पालना में इन्तकाल हमारे हक में हो चुका है. इस प्रकार श्री गुरदयालसिंह के नाम पर दर्ज पैतृक सम्पत्ति का सक्षम न्यायालय के माध्यम से विभाजन तक हो चुका है तथा श्री गुरदयालसिंह के नाम पर वर्तमान में दर्ज चक 3 एच छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2068–2071 के खाता संख्या 13/11 मुरब्बा नम्बर 2 व 3 की 2.404 हैक्टर कृषि भूमि वर्णित विभाजन के परिणाम स्वरूप ही दर्ज है जो श्री गुरदयालसिंह को पैतृक सम्पत्ति में से प्राप्त हिस्सा ही है. जिस पर श्री गुरदयालसिंह स्वयं का अधिकार है तथा वह अपने जीवनकाल में अपने पैतृक हिस्सा में प्राप्त कृषि भूमि का स्वेच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने क लिये स्वतन्त्र है. पैतृक सम्पत्ति के विभाजन स्वरूप श्री गुरदयालसिंह को पैतृक हिस्सा के रूप में प्राप्त सम्पत्ति में श्री गुरदयालसिंह के जीवनकाल में वादिया को किसी भी प्रकार के अधिकार उपलब्ध नहीं है. इस प्रकार विवाद्यक संख्या संख्या वादिया के विरूद्व विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक संख्या 2 –क्या वादिया उक्त कृषि भूमि बाबत प्रतिवादीगण के विरूद्व प्रश्नगत कृषि भूमि को बंधक, विक्रय अथवा अन्य किसी भी तरीका से अन्तरित नहीं करने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारिणी है? **...वादिया**

श्री गुरदयालसिंह के नाम पर वर्तमान में दर्ज चक 3 एच छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2068–2071 के खाता संख्या 13/11 मुरब्बा नम्बर 2 व 3 की 2.404 हैक्टर कृषि भूमि वर्णित विभाजन के परिणाम स्वरूप ही दर्ज है जो श्री गुरदयालसिंह को पैतृक सम्पत्ति में से प्राप्त हिस्सा ही है. जिस पर श्री गुरदयालसिंह स्वयं का अधिकार है तथा वह अपने जीवनकाल में अपने पैतृक हिस्सा में प्राप्त कृषि भूमि का स्वेच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने क लिये स्वतन्त्र है. पैतृक सम्पत्ति के विभाजन स्वरूप श्री गुरदयालसिंह को पैतृक हिस्सा के रूप में प्राप्त सम्पत्ति में श्री गुरदयालसिंह के जीवनकाल में वादिया को किसी भी प्रकार के अधिकार उपलब्ध नहीं है. जिसके परिदृश्य, वादिया श्री गुरदयालसिंह के नाम पर दर्ज प्रश्नगत कृषि भूमि की बाबत किसी भी आश्य का खातेदार के विरूद्व निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 2 वादिया के विरूद्व विनिश्चित किया जाता है.

सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

विवाद्यक संख्या 3 – क्या वादिया उक्तांकित कृषि भूमि अपने अधिकारों की घोषणा करवाकर किलावाईज हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी है? **..वादिया**

श्री गुरदयालसिंह की पैतृक सम्पत्ति में से वादिया के पिता स्व. श्री अमरीकसिंह की मृत्योपरान्त सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत वादपत्र के माध्यम से पारिवारिक सदस्यों सर्वश्री गुरदयालसिंह, श्री अमरीकसिंह(मृत), श्री चरणजीतसिंह एवं श्रीमती जसवीरकौर के परिदृश्य चक 3 एच छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 3 किला नम्बर 3 से 7, किला नम्बर 14 से 16 एवं किला नम्बर 25 के 2.087 हैक्टर कृषि भूमि का नामान्तरकरण वादिया के परिवार के नाम पर दर्ज किया जा चुका है जिसे वादिया द्वारा साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत प्रमाणित शपथपत्र की जिरह में स्वीकार किया गया है कि एस.डी.एम., श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 13 फरवरी, 2007 की पालना में इन्तकाल हमारे हक में हो चुका है. इस प्रकार श्री गुरदयालसिंह के नाम पर दर्ज पैतृक सम्पत्ति का सक्षम न्यायालय के माध्यम से विभाजन तक हो चुका है तथा श्री गुरदयालसिंह के नाम पर वर्तमान में दर्ज चक 3 एच छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2068–2071 के खाता संख्या 13/11 मुरब्बा नम्बर 2 व 3 की 2.404 हैक्टर कृषि भूमि वर्णित विभाजन के परिणाम स्वरूप ही दर्ज है जो श्री गुरदयालसिंह को पैतृक सम्पत्ति में से प्राप्त हिस्सा ही है. जिस पर श्री गुरदयालसिंह स्वयं का अधिकार है तथा वह अपने जीवनकाल में अपने पैतृक हिस्सा में प्राप्त कृषि भूमि का स्वेच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिये स्वतन्त्र है तथा श्री गुरदयालसिंह के जीवनकाल में वादिया किसी भी न्यायिक दृष्टिकोण से प्रश्नगत कृषि भूमि में अपने पैतृक अधिकारों की घोषणा एवं विभाजन करवाने की अधिकारिणी नहीं है. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 3 वादिया के विरूद्व विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक संख्या 4 – क्या प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि का विक्रय पंजीबद्व विक्रय विलेख दिनांक 24 मई, 2016 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को विक्रय कर दी गयी है जिसका प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम पर नामान्तरकरण भी दर्ज हो चुका है?

...प्रतिवादी–1व 2

दस्तावेज बैयनामा दिनांक 24 मई, 2015(प्रदर्श–डी1ए) द्वारा चक 3 एच छोटी के खाता संख्या 13/11 मुरब्बा नम्बर 2 किला नम्बर 16(0.253), किला नम्बर 16(0.253), किला नम्बर 8, 13, 17 से 19, किला नम्बर 22 से 24 प्रत्येक सालम, किला नम्बर 25/1(0.127) कुल 2.404 हैक्टर मय खाल में से ½ हिस्सा अर्थात 1.202 हैक्टर कृषि भूमि श्री दिलबागसिंह को, दस्तावेज बैयनामा दिनांक 24 मई, 2015(प्रदर्श–डी2ए) द्वारा चक 3 एच छोटी के खाता संख्या 18/15 मुरब्बा नम्बर 3 किला नम्बर 1(0.253), किला नम्बर 2(0.253), किला नम्बर 3/1(0.063), किला नम्बर 9 से 12, 20 एवं 21 प्रत्येक 0.253 कुल 2.087 हैक्टर कृषि भूमि श्रीमती हरजिन्द्रकौर धर्मपत्नी श्री दिलबागसिंह को, दस्तावेज बैयनामा दिनांक 24 मई, 2015 (प्रदर्श–डी3ए) द्वारा चक 3 एच छोटी के खाता संख्या 13/11 मुरब्बा नम्बर 2 किला नम्बर 16(0.253) मुरब्बा नम्बर 3 किला नम्बर 8, 13,

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

17 से 19, 22 से 24 प्रत्येक सालम, किला नम्बर 25/1(0.127) कुल 2.404 हैक्टर मय खाल में से ½ हिस्सा अर्थात 1.202 हैक्टर कृषि भूमि श्रीमती हरजिन्द्रकौर धर्मपत्नी श्री दिलबागसिंह को, दस्तावेज बैयनामा दिनांक 24 मई, 2015(प्रदर्श–डी4ए) द्वारा चक 3 एच छोटी के खाता संख्या 26/19 मुरब्बा नम्बर 2 किला नम्बर 4 से 7, 14, 15 एवं 17 प्रत्येक सालम किला नम्बर 25/2(0.063) कुल 1.843 हैक्टर कृषि भूमि श्री दिलबागसिंह आत्मज श्री मलेकीतसिंह को विक्रय की जा चुकी है. उक्त विक्रय विलेखों के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 329 दिनांक 30 मई, 2016 दर्ज किया जा चुका है. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 4 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक संख्या 5 –क्या पैतृक सम्पत्ति की बाबत पूर्व प्रकरण शीर्षक चरणजीतसिंह बनाम गुरदयालसिंह में प्रस्तुत काउण्टरक्लेम स्वीकृत किया जाकर निर्णय दिनांक 13 फरवरी, 2007 द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 को चक 3 एच छोटी के मुरब्बा नम्बर 2 व 3 में 8.00 बीघा का खातेदार घोषित किया गया है, जिसकी प्रथम एवं द्वितीय अपीलें भी विनिश्चित की जा चुकी हैं, के परिदृश्य विचाराधीन वादपत्र प्रभावित होता है?

....**प्रतिवादी–1व 2**

प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत शपथपत्र की जिरह में कथन प्रस्तुत किये गये हैं कि पूर्व प्रकरण शीर्षक चरणजीतसिंह बनाम गुरदयालसिंह में पारित निर्णय दिनांक 13 फरवरी, 2007 के विरूद्व अपील संख्या 62/2007 एवं 96/2007 निर्णित हो चुकी है जिनके विरूद्व मान. राजस्व मण्डल राज, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत द्वितीय अपील शीर्षक चरणजीतसिंह बनाम गुरदयालसिंह दिनांक 19 मई, 2016 को प्रत्याहरित कर ली गयी हैं. किसी भी राजस्व प्रकरण के निर्णयोपरान्त उसके विरूद्व प्रस्तुत अपील के निरस्त होने तथा द्वितीय अपील को प्रत्याहरित करने के परिणामतः मूल राजस्व प्रकरण में पारित निर्णय प्रभावित नहीं होता है. ऐसी स्थिति में, पूर्व प्रकरण में पारित निर्णय के अनुरूप ही पैतृक सम्पत्ति में हिस्से निर्धारित किये गये हैं एवं श्री गुरदयालसिंह को प्रदत्त हिस्सा का श्री गुरदयालसिंह खातेदार, अधिस्वामी होने के कारण ही प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को विक्रय किया गया है.विचाराधीन वादपत्र प्रभावित नहीं होता है. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 5 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है.

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक उपखण्ड अधिकारी (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

विवाद्यक संख्या 6 – क्या प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रश्नगत कयाधीन कृषि भूमि में वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के विरूद्व चक 3 एच छोटी के मुरब्बा नम्बर 2 व 3 की कुल 2.404 हैक्टर के कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार से स्वयं अथवा किसी अन्य की सहायता से हस्तक्षेप नहीं करने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं? .**प्रतिवादी–1व2**

चूंकि दस्तावेज बैयनामा दिनांक 24 मई, 2015(प्रदर्श–डी1ए) द्वारा चक 3 एच छोटी के खाता संख्या 13/11 मुरब्बा नम्बर 2 किला नम्बर 16(0.253), किला नम्बर 16(0.253), किला नम्बर 8, 13, 17 से 19, किला नम्बर 22 से 24 प्रत्येक सालम, किला नम्बर 25/1(0.127) कुल 2.404 हैक्टर मय खाल में से ½ हिस्सा अर्थात 1.202 हैक्टर कृषि भूमि श्री दिलबागसिंह को, दस्तावेज बैयनामा दिनांक 24 मई, 2015(प्रदर्श–डी2ए) द्वारा चक 3 एच छोटी के खाता संख्या 18/15 मुरब्बा नम्बर 3 किला नम्बर 1(0.253), किला नम्बर 2(0.253), किला नम्बर 3/1(0.063), किला नम्बर 9 से 12, 20 एवं 21 प्रत्येक 0.253 कुल 2.087 हैक्टर कृषि भूमि श्रीमती हरजिन्द्रकौर धर्मपत्नी श्री दिलबागसिंह को, दस्तावेज बैयनामा दिनांक 24 मई, 2015 (प्रदर्श–डी3ए) द्वारा चक 3 एच छोटी के खाता संख्या 13/11 मुरब्बा नम्बर 2 किला नम्बर 16(0.253) मुरब्बा नम्बर 3 किला नम्बर 8, 13, 17 से 19, 22 से 24 प्रत्येक सालम, किला नम्बर 25/1(0.127) कुल 2.404 हैक्टर मय खाल में से ½ हिस्सा अर्थात 1.202 हैक्टर कृषि भूमि श्रीमती हरजिन्द्रकौर धर्मपत्नी श्री दिलबागसिंह को, दस्तावेज बैयनामा दिनांक 24 मई, 2015(प्रदर्श–डी4ए) द्वारा चक 3 एच छोटी के खाता संख्या 26/19 मुरब्बा नम्बर 2 किला नम्बर 4 से 7, 14, 15 एवं 17 प्रत्येक सालम किला नम्बर 25/2(0.063) कुल 1.843 हैक्टर कृषि भूमि श्री दिलबागसिंह आत्मज श्री मलेकीतसिंह को विक्रय की जा चुकी है. उक्त विक्रय विलेखों के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 329 दिनांक 30 मई, 2016 दर्ज किया जा चुका है. ऐसी स्थिति में, वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को विक्रयाधीन कृषि भूमि में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार शेष नहीं रहता है. ऐसी स्थिति में, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के विरूद्व उनकी क्रयाधीन कृषि भूमि में स्वयं अथवा किसी अन्य की सहायता से हस्तक्षेप नहीं करने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 6 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यकों के विनिश्चिय के अनुसार चूंकि वादिया द्वारा श्री गुरदयालसिंह की पैतृक सम्पत्ति में से सक्षम न्यायालय के माध्यम से अपना हिस्सा स्वरूप चक 3 एच छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 3 किला नम्बर 3 से 7, किला नम्बर 14 से 16 एवं किला नम्बर 25 के 2.087 हैक्टर कृषि भूमि का नामान्तरकरण वादिया के परिवार के नाम पर दर्ज किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में, श्री गुरदयालसिंह प्रतिवादी संख्या 3 को हिस्सा स्वरूप प्राप्त कृषि भूमि में श्री गुरदयालसिंह के जीवनकाल में किसी भी प्रकार का हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है. इस प्रकार वादिया विचाराधीन वादपत्र द्वारा किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है. चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रश्नगत कृषि भूमि के सद्भावी क्रेता है जिनके नाम पर विक्रय विलेखों के आधार पर नामान्तरकरण भी दर्ज किया जा चुका है ऐसी स्थिति में काउण्टरक्लेम स्वीकार किये जाने योग्य है.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

।। आदेश ।।

अतः वादपत्र निरस्त किया जाता है तथा प्रतिवादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम पर दर्ज कृषि भूमि में स्वयं अथवा किसी भी अन्य के माध्यम से हस्तक्षेप करने से निषिद्व रहें. वाद व्यय पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे. यथा डिक्री जारी हो.

आदेश अधिवक्तागण की उपस्थिति में, खुले न्यायालय में आज दिनांक 17 अगस्त, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.